भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1819

उत्तर देने की तारीख: 10.02.2026

डॉ. अंबेडकर फांउडेशन

1819. श्री अमरा रामः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की तरह वर्ष 2016 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को डॉ. अंबेडकर चेयर/बेचलर आवंटित की गई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण अनुदान प्रदान नहीं किए जाने के कारण या विश्वविद्यालय की लापरवाही और शर्तों के उल्लंघन के कारण इसकी संबद्धता/मान्यता रद्द कर दी गई थी, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डॉ. अंबेडकर चेयर की मान्यता रद्द होने के बावजूद, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन कई वर्षों तक चेयरमैन की नियुक्ति करता रहा, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई है और दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): डॉ. अम्बेडकर पीठ (चेयर) की स्थापना के लिए वर्ष 2016 में डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन (डीएएफ) और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख): डॉ. अम्बेडकर पीठ की स्थापना के लिए डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीच किया गया समझौता ज्ञापन (एमओयू) वर्ष 2021 में समाप्त हो गया।

2021 में समझौता ज्ञापन के समाप्त होने के बाद, राजस्थान विश्वविद्यालय ने नवीनीकरण के लिए डीएएफ को प्रस्ताव नहीं भेजा।

(ग): डॉ. अम्बेडकर पीठ के लिए समझौता ज्ञापन की समाप्ति के बाद की गई नियुक्तियां, यदि कोई हों, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के आंतरिक प्रशासनिक निर्णय थे और डॉ. अम्बेडकर पीठ योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

(घ) और (ङ): चूंकि पीठ कार्य नहीं कर रही थी, इसलिए किसी जांच का प्रश्न ही नहीं उठता है।

*****